न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 80/2013 (उदयपुर डिक्री)

श्री पेमा पिता किशना डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री खेमराज पिता स्व0 नंगा जी डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. मु. रूपी बाई पुत्री स्व. नंगा जी डांगी पत्नी श्री धूला जी डांगी निवासी कोट तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
3. मु. खेमी बाई स्व. नंगा जी डांगी पत्नी कन्ना जी डांगी निवासी जवाड़ा तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (राज0)
4. मु. जोती बाई पत्नी स्व. श्री नंगा जी डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
5. राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर
6. श्रीमती पूंजी पत्नी कसना जी डांगी निवासी खेड़ी पंचायत वली तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 20–12–2001 प्रकरण सं0 424/2001 वाद

———

उपस्थित :–1– श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक रेस्पो0 सं.–1 से 3, 4, 6,
3– श्री पंकज भटनागर राजीय अविक्ता

निर्णय दिनांक 25–10–2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वाधिकारी नंगा द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 151 C.P.C. का आवेदन प्रस्तुत

कर निवेदन किया कि ग्राम खेड़ी के खाता संख्या 63, 64, 65 की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के खातेदारी की होकर कर पुश्तेनी भूमि है। पूर्वज की मृत्युपरान्त अकेले प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई है। भूमियां आवंटित व क्रय शुदा नहीं है। प्रतिवादीगण व वादी दोनों काबिज है। वादीगणों की खातेदारी की घोषणा करवाई जाय। उक्त वाद को राजस्व कैम्प वली पर पेश हुआ, जिस पर पटवारी द्वारा जांच दिनांक 18–10–2001 की जाकर तहसीलदार की अनुशंषा अंकित है। पटवारी हल्का ने सजरा बताया है, जिसमें धूला पिता मोडा के दो पुत्र किशना व उदा है, जिनके पुत्र क्रमशः पेमा प्रतिवादी व नंगा वादी है। पर्चा मौका दिनांक 15–10–2001 को पेमा व नंगा दोनों की उपस्थिति में मुर्तिब किया गया है, जिस पर सरपंच के भी हस्ताक्षर है। वादी नंगा तथा प्रतिवादी पेमा के बयान पीठासीन अधिकारी द्वारा लिए जाकर दिनांक 20–12–2001 को वाद डिक्री करते हुए, वादी नंगा को पेमा के साथ सह–खातेदार घोषित किये जाने का निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 20–12–2001 से रूष्ट होकर प्रतिवादी पेमा द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 5–7–2013 को पेश की। अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत करते हुए कथन किया किया उसे अधिनस्थ न्यायालय क निर्णय की जानकारी ही नहीं थी। प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के मौके पर आकर झगड़ा करने पर दिनांक 10–6–2013 को नकल लिए जाने पर जानकारी हुई। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी की अनुपस्थिति माने जाने का कोई आधार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण सहमति आधार पर डिक्री हुआ है। प्रतिवादी अपीलान्ट के हस्ताक्षर भी प्रथम दृष्टया मिलान होते है। पर्चे मौके दिनांक 15–10–2001 पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर के साथ सरपंच के भी हस्ताक्षर है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पेमा के बयान भी लिए गये है। यह प्रकरण राजस्व लोक अदालत में सहमति आधार पर प्रतिवादी अपीलान्ट की उपस्थिति में निर्णित हुआ है। अपीलान्ट प्रतिवादी का निर्णय के करीब 12 वर्षो बाद इस प्रकार का उजर उठाने हेतु न तो कोई उचित आधार है

न ही विधिक मान्यता। स्पष्टतया उपरोक्त अपील बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है। अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 व 4, 6 की और से रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 की और से राजकीय अधिवक्त औपचारिक पक्षकार के रूप में उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उभयपक्ष की गुणावगुण पर सुनी गई बहस का भी हम संक्षिप्त में विवेचन करना उचित समझते है।

प्रकरण में दिनांक 25–7–2017 को बहस सुनने के बाद दिनांक 8–8–2017 को अपीलान्ट द्वारा आदेश–41 नियम–27 के तहत एक आवेदन पेश किया गया। न्यायहित में नियत आदेश तिथि 9–8–2017 को आदेश नहीं सुनाया जाकर उक्त प्रकरण को उक्त आवेदन आदेश–41, नियम–27 जाब्ता दीवानी के जवाब बहस पर रखा गया। प्रकरण मं रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उक्त आवेदन का जवाब पेश किया गया। दिनांक 16–10–2017 को उक्त आवेदन पर बहस सुनी गई। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 8–8–2017 को जो आवेदन पेश किया गया है, वह अपील दायरी दिनांक 23–7–2013 के 4 वर्षो बाद बहस सुनने के बाद निर्णय के 1 दिन पूर्व आवेदन पेश कर पुरानी जमाबन्दीयां सम्वत् 2027–2030, 2015–2018 व 2021–34 व सम्वत् 2092 का मिलान क्षैत्रफल पेश कर विवादित भूमियों के मोरूसी नहीं होने की साक्ष्य की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की है। जिस पर रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आपत्ति का जवाब पेश किया गया है कि अंतिम बहस के बाद निर्णय से पूर्व ऐसा कोई आवेदन पोषणीय नहीं है। पूर्व दस्तावेज पेश किये जाने के लिए कोई तर्क संगत आधार नहीं दिये है।

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दौराने बहस A.I.R. (राज.) 2001 पेज 71 पेश किया है, जिसमें बहस सुनने व आदेश की बीच किसी प्रकार के नये दस्तावेजात पेश करने की स्वीकार्यता निषिद्ध होना वर्णित किया गया है। इसी प्रकार A.I.R.1964 (S.C.) पेज 993 भी इन्हीं न्यायिक सिद्धान्तों पर पेश की है। हम उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों से सहमत है तथा प्रकरण की राजीनामा डिक्री की प्रकृति व उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के मध्य नजर उक्त आवेदन अपीलान्ट अन्तर्गत आदेश–41,नियम–27 खारिज करते है।

अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में वह उपस्थित ही नहीं हुआ व सारी कार्यवाही किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा

की गई। भूमियां मोरूषी नहीं है, अकेले अपीलान्ट के खाते व कब्जे की है। सारी कार्यवाही मिली–भगत से सरसरी रूप से की गई है।

हमारा विवेचन यह है कि काश्तकारी अधिकारों के सम्बन्ध में लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा सुलभ न्याय प्रदान किये जाने के लिए लोक अदालत का आयोजन करता है, ताकि पक्षकारों को विधिक जटिलताओं के स्थान पर सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। राजस्व कार्मिक ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में जिन्हें लोक अदालत में राजीनामा अथवा सहमति से निपटाया जा सके, ऐसे प्रकरणों की पूर्व में तैयारी करते है तथा शिविर दिनांक को मजमेआम में जन–प्रतिनिधियों की उपस्थिति में न्यायालय प्रकरणों का सहमति आधार अथवा समझाईश से निर्णय करता है। इस प्रकरण में ऐसी पूर्व तैयारियां किया जाकर आदेश दिनांक 20–12–2001 को पेश हुआ है। जिसमें पटवारी ने जांच रिपोर्ट में पुष्टि की है। तहसीलदार ने भी प्रकरण में अनुशंषा की है। पर्चा मौका उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मुर्तिब होकर उभयपक्षकारान के साथ सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी के भी बयान लिए गये है। इन परिस्थितियों में यह कदापि नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट प्रतिवादी की जगह कोई फर्जी व्यक्ति मजमे–आम में उसके स्थान पर रहा हो। सरपंच द्वारा अपीलान्ट के हस्ताक्षर प्रमाणित है। यह प्रकरण स्पष्टतया राजीनामा डिक्री की अपील से संबंधित है। जिसमें अपीलान्ट का प्रमुख आधार यह है कि उसने राजीनामा नहीं किया तथा कोई फर्जी व्यक्ति उनके स्थान पर खड़ा किया गया। देखने रेकार्ड से उपरोक्त विवेचनानुसार यह प्रमाणित नहीं होता कि अपीलान्ट प्रतिवादी ने सहमति नहीं दी हो। स्पष्टतया यह प्रकरण राजीनामा डिक्री के 12 वर्षो बाद प्रस्तुत किया गया है। राजीनामा डिक्री की अपील विधिक नहीं होती तथा जो आधार अपीलान्ट द्वारा लिए गये है वे प्रमाणित नहीं है।

अपीलान्ट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक नजीर A.I.R. (S.C.) पेज 2858 पेश की है जिसके तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते वहीं रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीर R.R.D. 1972 पेज 155 पेश की है, जिसमें राजीनामा डिक्री की अपील सम्भव नहीं होना तथा रिव्यू या नया दावा ही विकल्प होने का न्यायिक दृष्टांत पेश किया है। यह न्यायिक नजीर इस प्रकरण से सुसंगत है।

अपीलान्ट द्वारा इस प्रकरण में निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की हैः–

1. **A.I.R. 2012 (S.C.) पेज 2858**
2. **R.R.T. 2014 (2) पेज 832 (H.C.)**
3. **R.R.T. 2003 (1) पेज 370**
4. **R.R.T. 2013 (1) पेज 489**
5. **R.R.T. 2014 (1) पेज 695 (S.C.)**
6. **R.R.T. 2011-12 (Supp) पेज 289**
7. **R.R.T. 2011-12 (Supp) पेज 673**
8. **R.R.D. 1992 पेज 117**
9. **R.R.D.1994 पेज 606**
10. **R.R.T. 2005 (2) पेज 1126**
11. **R.R.T. 2002 (1) पेज 648**
12. **R.R.T. 2004 (2) पेज 758**

प्रकरण में राजीनामा डिक्री व हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त न्यायिक नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि यह अपील बेरून मयाद होकर राजीनामा डिक्री के विरूद्ध होने से अविधिक व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व राजीनामा डिक्री के विरूद्ध होने से अविधिक व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–12–2001 यथावत रखा जाता है।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–10–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

श्री पेमा पिता किशना डांगी बनाम **1–श्री खेमराज पिता स्व. नंगा जी डांगी**

निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा **निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला**

जिला उदयपुर (राज0) **उदयपुर व अन्य–4 व सरकार**

अपील नं0 **80/2013** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .. ..**गिर्वा** .....मुकाम मुक्र्खे.....**20**.....माह.....**12**.....**2001**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**25**..... माह .....**10**..... सन् **2017** .....रूबरू .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री नरेन्द्र सोनी** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री लोकेश गहलोत** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व राजीनामा डिक्री के विरूद्ध होने से अविधिक व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–12–2001 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**25**..... माह .....**10**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।